मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

- स्त्रोत–Bill of Rights (अमेरिका में F.Rs को Bill of Rights से जाना जाता है।)
- वास्तविक संविधान में 7 F.Rs.थे, वर्तमान में 6 है। सम्पत्ति का अधिकार 44th CAA, 1978 द्वारा हटा दिया गया । वर्तमान में सम्पत्ति का अधिकार Art. 300 क में है।
- F. Rs भारत का magna carta (U.K. में F.Rs की शुरूआत Magna carta नाम से हुई) से जाना जाता है।
- F. Rs नागरिक के हर तरीके के विकास के लिए आवश्यक है।
- F. Rs की विशेषता

(1) कुछ F.Rs केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है। (Art. 15,16,19,29 और 30)
(2) कुछ नागरिक और विदेशी दोनों के लिए मगर शत्रु देश के लिए नहीं।

(14,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,28)

(3) F.Rs जो केवल निजि व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध है। (15,17,23,24,32) (writ-Habeas corpus–बन्दी प्रत्यक्षीकरण)
(4) असीमित नहीं (limited) है, वाद योग्य (court जा सकते है, उल्लघन होने पर) है। युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लग सकते है।
(5) न्यायोचित है। Art.32 के अन्तर्गत High court (उच्च न्यायालय) जा सकते है।
(6) ज्यादातर राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है।
(7) कुछ नाकारात्मक है, तो कुछ साकारात्मक
(8) उच्चतम न्यायालय द्वारा गारन्टी और सुरक्षा।
(9) स्थायी नहीं है।
(10) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (20,21) को छोड़कर बाकि सभी निलंबित। Art.19 को तब तक स्थगित किया जा सकता जब तक युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल हो।
(11) अनुच्छेद 31 क, 31 ख, 31 ग द्वारा इनकी सीमित किया गया है।
(12) ज्यादातर प्रत्यक्ष रूप से लागू होते है। कुछ के लिए संसद कानून बनाती है Ex- 21क शिक्षा का अधिकार

Article (अनुच्छेद) 12:– Art 12 राज्य को परिभाषित करता है। पूरे संविधान में राज्य शब्द 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। Art.12,36 और 152 में। Art 12 और 36 में राज्य की परिभाषा Same है। Art 152 में राज्य शब्द का तात्पर्य देश के वर्तमान में 28 राज्यों से है।

- राज्य समाहित करता है।
  1. केन्द्र सरकार और संसद
  2. राज्य सरकार और राज्य की विधानमण्डल
  3. स्थानीय निकाय
  4. अन्य निकाय या प्राधिकरण जो भारत की परिसिमा में कार्यरत है।
- अन्य निकाय के अन्तर्गत

A. संवैधानिक निकाय (Ex-E.C.I.,UPSC)
B. वैधानिक निकाय (NGT etc.)
C. Courts
D. Judge
E. हर वो संस्था जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से Support किया जाता है।

Article 13:-

Article 13(1):-किसी विधायिका द्वारा कोई कानून या किसी कार्यपालिका द्वारा कोई आदेश जो 26/01/1950 के पहले पारित किया गया है, जो संविधान का उल्लघन करता है, तो उसे उस मात्रा तक शून्य कर देंगे, जिस मात्रा तक वे संविधान का उल्लघन करते है।

Article 13(2):- किसी विधायिका द्वारा कोई कानून या किसी कार्यपालिका द्वारा कोई आदेश जो 26/01/1950 के बाद पारित किया गया है, जो संविधान का उल्लघन करता है, तो उसे उस मात्रा तक शून्य कर देंगे, जिस मात्रा तक वे संविधान का उल्लघन करते है।

Article 13 (3):-में विधियाँ दी गयी है। इनमें संविधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना तथा गैर विधायी स्त्रोत–विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा।

Article 13 F.Rs. की Backbone (रीढ़ की हड्डी) है, जो उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना Art. 32।

Art 13 को न्यायिक समीक्षा के Article से भी जाना जाता है। Note:- न्यायिक समीक्षा पर अलग Video आयेगा।

1. समता का अधिकार [अनुच्छेद 14 to 18]

   Art 14(विधि के समक्ष समता):–राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

   इसके अन्तर्गत दो सिद्धान्त है।

   (A) विधि के समक्ष समता– ये एक नकारात्मक सिद्धान्त है, जो Britain से लिया गया है। यह हर एक पर लागू होगा चाहे गरीब हो या अमीर। इसके अन्तर्गत
   - किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नही
   - सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार
   - कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं।

   (B) विधियों का समान संरक्षण– यह एक सकारात्मक सिद्धान्त है, जो अमेरिका से लिया गया है। ये समान व्यक्तियों पर लागू होगा। इसके अन्तर्गत
   - समान परिस्थितियों में सामान व्यवहार
   - सामान विधियाँ, सामान नियम
   - बिनाप भेदभाव, समान के साथ समान व्यवहार

- Art-14 नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है।

- व्यक्ति शब्द में–विधिक व्यक्ति (कपँनिया, पंजीकृत समितियाँ या किसी भी तरह का अन्य विधिक व्यक्ति शामिल।
- समता के अपवाद

1. राष्ट्रपति, राज्यपाल किसी निर्णय के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं।
2. राष्ट्रपति, राज्यपाल के प्रति उनके कार्यकाल के दौरान कोई दण्डित कार्यवाही नही।
3. राष्ट्रपति, राज्यपाल की पदावधि में गिरफ्तारी या कार्यवास के लिए न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नही।
4. राष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए कोई दीवानी मुकदमा चलाना भी है तो उन्हे 2 माह पहले सूचना दी जाए।
5. संसद में किसी सदस्य द्वारा कही गयी कोई बात या दिए गए मत के सम्बन्ध में न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं।
6. राज्य विधानमण्डल में भी दिए गए मत के सम्बन्ध में न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं।
7. जहाँ Article-31 ग आता है, वहाँ Article-14 लागू नहीं होता।
8. विदेशी शासक, राजदूत, कूतनीतिक व्यक्ति, दीवानी, फौजदारी मुकदमे से मुक्त होगे।
9. संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेन्सियो को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है।

Article 15[कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध]:- Article-15 की पहली व्यवस्था कहती है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नही करेगा।

- भेदभाव का अर्थ– एक के विरूद्ध रहना और दूसरे के पक्ष में रहना।
- केवल का अर्थ– इन पाँच (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान) के इलावा प्राथमिक रूप से भेदभाव नही हो द्वितीय रूप से हो सकता है।

- Article-15 की दूसरी व्यवस्था कहती है कि कोई नागरिक दूसरे नागरिक से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नही करेगा।
  (1) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश।
  (2) राज्य, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछले वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे।
  (3) राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगो या ST या SC के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई निय बना सकता है।
  Note:- Reservation separate Topic

(3) Art-16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता :– राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

- केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध।
- धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नही लहराया जाएगा।

अपवाद :– (1) संसद विशेष रोजगार के लिये निवास की शर्त रख सकती है जैसे आन्ध्र प्रदेश और तेलांगना के लिये है।

(2) राज्य नियुक्तियों के लिए आरक्षण व्यवस्था कर सकता है।

(3) विधि के तहत किसी संस्था के सदस्यों के लिए धार्मिक आधार पर व्यवस्था हो सकती है।

Note :- Reservation separate notes will be provided.

(4) Art-17–अस्पृश्यता का अन्तः– अस्पृश्यता को न तो संविधान में, न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। Art-17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। संसद ने इसका इस्तेमाल कर SC/ST कानून बनाया।

(5) उपाधियों का अंत (Art-18)

1. सेना या विद्या संबंधी उपाधि के सिवाए और कोई उपाधि नही।
2. भारत का कोई नागरिक विदेश से उपाधि प्राप्त नही करेगा।
3. कोई विदेशी जो भारत के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है वह किसी विदेश से बिना राष्ट्रपति की सहमति से उपाधि प्राप्त नही करेगा।
4. राज्य के अधीन कोई पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नही करेगा।
    - न्यायालय के 1996 में कहा है कि पद्म विभूषण, पद्य श्री, पद्य भूषण कोई उपाधि नही है। बस कोई अपने नाम के सामने इन्हे इस्तेमाल न करे वरना उन्हे इस पुरस्कार को त्यागना होगा।

1. स्वतन्त्रता का अधिकार (Art-19) 6 अधिकारों की गारंटी देता है।
   (क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने का अधिकार है।
   प्रतिबन्धः– एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यो से मित्रवत, संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैविकता की स्थापना, न्यायलय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता
   (ख) शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतन्त्रता :– किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल हैः–
   सार्वजनिक बैठको में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन बिना हथियार के हो।
   दो प्रतिबन्ध भारत की एकता अखण्डता एवं सार्वजनिक आदेश, सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण।
   (ग) संगम या संघ बनाने का अधिकार :– सभी नागरिको को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार है।
    - उच्चतम न्यायालय (Supereme, court) ने व्यवस्था की है कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबन्दी करने का कोई अधिकार नही है।

(घ) अबाध संचरण की स्वतन्त्रता :– प्रत्येक नागरिक को कही भी घूमने का अधिकार देता है।

दो प्रतिबन्ध (1) आम लोगों का हित

(2) अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा तथा हित।

Note:- देश के बाहर घूमने का अधिकार Art-21 के अन्तर्गत दिया है।

(ड.)निवास का अधिकार :– देश के किसी भी हिस्सें में बसने का अधिकार। बसना दो तरीके से होता है।

(A) अस्थायी रूप से (किराये पर)
(B) स्थायी रूप से (अपना घर बनाना)

दो प्रतिबन्ध– 1. आम लोगों का हित

2.अनुसूचित जनजातियों का हित।

(च) सम्पत्ति का अधिकार– 44CAA, 1978 के द्वारा हटा दिया गया।

(छ) व्यवसाय आदि की स्वतन्त्रताः– सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार है।

प्रतिबन्ध– किसी पेशे के लिए कोई तार्किक, तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है।

- किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को आंशिक रूप से जारी रख सकता है।

2. अपराध के लिए दोषसिद्धी के संबंध में संरक्षण [Art.20]:- किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाने पर संरचरण
   (1) कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नही [Expost facto laws] किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उस कानून द्वारा दिया जायेगा जो अपराध करते वक्त वर्तमान स्थिति में लागू था।
   (2) दोहरी क्षति नही :– एक कानून की दो बार सजा नही।
3. स्वः अभिशंसन नहीः– किसी को अपना गुनाह या अपने खिलाफ सबूत देने को नही कहा जाएगा।